

## प्रारंभिक परीक्षा


### हसदेव अरण्य वन

#### संदर्भ

कोयला खनन के लिए वन भूमि को मोड़ने के प्रस्ताव और आदिवासी समुदायों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शनों ने पारिस्थितिक और आजीविका संबंधी चिंताओं को उजागर किया है।

#### हसदेव अरण्य वन के बारे में

- **अवस्थिति:** छत्तीसगढ़ के कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर जिलों में स्थित, जो मध्य भारत के सबसे बड़े निरंतर वन क्षेत्रों में से एक है।
- **भौगोलिक विशेषताएँ:** 1.7-1.75 लाख हेक्टेयर (कोयला क्षेत्र 1,879 वर्ग किमी) में विस्तृत है और हसदेव नदी तथा बांगो बांध का जलग्रहण क्षेत्र बनाता है।



- **वनस्पति (Flora):** सघन साल और सागौन के वनों की प्रधानता है, जिसमें 640 पौधों की प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें 128 औषधीय पौधे हैं।
- **जीव-जंतु (Fauna):** एशियाई हाथी, तेंदुआ, सुस्त भालू (sloth bear) जैसी अनुसूची-I की प्रजातियों और लगभग 25 स्तनधारियों एवं 92 पक्षियों का पर्यावास।
- **महत्व**
  - **पारिस्थितिक महत्व:** उच्च कार्बन पृथक्करण (carbon sequestration), जैव विविधता संरक्षण और जलसंभर संरक्षण (जलवायु और जल विनियमन) के साथ "छत्तीसगढ़ के फेफड़े" के रूप में कार्य करता है।
  - **वन्यजीव गलियारे (Wildlife Corridor) की भूमिका:** परिदृश्य निरंतरता सुनिश्चित करते हुए हाथी पर्यावास और बाघ प्रसार गलियारे के रूप में कार्य करता है।
  - **खनन महत्व:** इसमें 23 कोयला ब्लॉक (25% क्षेत्र) शामिल हैं, जिनमें परसा ईस्ट और कांता बासन (PEKB) (प्रमुख कोयला संसाधन क्षेत्र) शामिल हैं।
- **संरक्षण स्थिति:** पहले इसे उच्च संरक्षण "नो-गो" ('no-go') क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब यहाँ खनन विस्तार देखा जा रहा है।
- **खतरे एवं मुद्दे:** खनन (जैसे परसा ईस्ट और कांता बासन, परसा परियोजनाएं) के कारण वनों की कटाई, पर्यावास विखंडन और जनजातीय विस्थापन का सामना कर रहा है।

### हसदेव नदी

- **उद्गम:** यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में सोनहत के पास कैमूर पहाड़ियों (देवगढ़ पहाड़ियों) से लगभग 910 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है।
- **मुहाना:** यह महानदी की सबसे बड़ी बाएं तट की सहायक नदी है। यह जांजगीर-चांपा जिले में सिलादेही (बिरा) के पास महानदी में मिल जाती है।
- **सहायक नदियाँ:**
  - **दायां तट:** गेज नदी (प्रमुख), चोरनई और झिंगा
  - **बायां तट:** अहिरन, तान, उटेंगा

### सोमनाथ मंदिर

#### संदर्भ

"वर्ष 2026 सोमनाथ के पुनर्निर्माण (1951) के 75 वर्ष पूर्ण होने का प्रतीक है, जो विध्वंस से लेकर पुनरुद्धार तक इसकी ऐतिहासिक निरंतरता को रेखांकित करता है।"

#### सोमनाथ मंदिर के बारे में

- **अवस्थिति:** गुजरात में वेरावल के पास प्रभास पाटन में अरब सागर के तट पर त्रिवेणी संगम (कपिला, हिरण, सरस्वती नदियों) पर स्थित है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** प्राचीन ग्रंथों और कालिदास (रघुवंश, 5वीं शताब्दी), अल-बिरूनी (11वीं शताब्दी) तथा अमीर खुसरो (दिल्ली सल्तनत काल) के विवरणों में उल्लेखित है।
- **आक्रमण एवं विनाश:** कई बार नष्ट किया गया, जिसमें शामिल हैं: 1026 में (भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान महमूद गजनवी द्वारा), 14वीं शताब्दी में (दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों द्वारा) और 1706 में (औरंगजेब के अधीन)।
- **पुनर्निर्माण का इतिहास**
  - **18वीं शताब्दी:** अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्मित (पूजा की निरंतरता सुनिश्चित की)।
  - **स्वतंत्रता के पश्चात:** सरदार वल्लभभाई पटेल ने 1947 में पुनर्निर्माण की पहल की और 1951 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।
- **वास्तुकला:** कैलाश महामेरु प्रसाद लेआउट के साथ मारू-गुर्जर (सोलंकी/चालुक्य) शैली में निर्मित, जिसमें शामिल हैं:
  - गर्भगृह (Sanctum)
  - सभामंडप (Assembly hall)
  - नृत्यमंडप (Dance hall)
- **मारू-गुर्जर वास्तुकला के बारे में**
  - **उत्पत्ति:** गुजरात और राजस्थान में सोलंकी शासकों के अधीन विकसित हुई, जिसमें मारू (मेवाड़), महा गुर्जर और सौराष्ट्र शैलियों का संयोजन है।
  - **संरचनात्मक लेआउट:** इसमें गर्भगृह आंतरिक और बाहरी रूप से मंडप से जुड़ा होता है।
  - **मुख्य विशेषताएं:**
    - **सादी बाहरी दीवारें:** सीमित नक्काशी (संरचना पर ध्यान केंद्रित)।
    - **झरोखा:** उभरा हुआ पत्थर का झरोखा (वेंटिलेशन और सौंदर्य के लिए)।

- **छतरी:** गुंबद के आकार का मंडप (स्मारक या सजावटी तत्व)।
- **जाली:** छिद्रित पत्थर की स्क्रीन (प्रकाश और वेंटिलेशन नियंत्रण)। आंगन-आधारित योजना (सूक्ष्म जलवायु विनियमन)।
- **जल वास्तुकला**
  - **सूर्य कुंड:** छोटे मंदिरों वाला सीढ़ीदार टैंक (अद्वितीय विशेषता)।
  - **बावली:** सीढ़ीदार कुआं (जल प्राप्ति हेतु)।
  - **जोहड़:** वर्षा जल संचयन (भूजल पुनर्भरण)।
- **खगोलीय विशेषता:** विषुव (equinox) के दौरान गर्भगृह में सूर्य के प्रकाश के प्रवेश के लिए संरक्षित पूर्व-मुखी मंदिर (खगोलीय सटीकता)।

### प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) पर केंद्रित EAC-PM रिपोर्ट

#### संदर्भ

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) द्वारा 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का आर्थिक प्रभाव विश्लेषण' (Economic Impact Analysis of Priority Sector Lending) शीर्षक से एक पत्र जारी किया गया।

#### रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

वर्तमान ढांचे के साथ मुद्दे:

- **बैंक प्रदर्शन अंतराल:** निजी बैंक लगातार प्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से 40% के लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों (SFBs) द्वारा बेचे जाने वाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (PSLCs) और ग्रामीण औद्योगिक विकास निधि (RIDF) जमा जैसे अप्रत्यक्ष तंत्रों पर भारी निर्भर रहते हैं।
- **आर्थिक दक्षता समझौता (Trade-offs):** अनिवार्य ऋण कुल कारक उत्पादकता (TFP) को कम करता है, पूंजी जमाखोरी (capital hoarding) को प्रोत्साहित करता है, और कम प्रतिफल वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।
  - PSL पोर्टफोलियो को उच्च प्रशासनिक लागत और बढ़े हुए डिफॉल्ट जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है।
- **सीमित विकास प्रभाव:** जिला-स्तरीय विश्लेषण (आउटपुट प्रॉक्सी के रूप में रात्रि-कालीन प्रकाश तीव्रता का उपयोग करते हुए) आर्थिक आउटपुट पर नगण्य प्रभाव दर्शाता है।
- **भौगोलिक विषमता:** 10% से भी कम जिले (मुख्य रूप से राज्य की राजधानियाँ, औद्योगिक केंद्र और दक्षिणी/पश्चिमी क्षेत्र) कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का 45% से अधिक हिस्सा रखते हैं।

#### नीतिगत सिफारिशें

- **सामाजिक समता पर ध्यान केंद्रित करना:** PSL को विकास इंजन के बजाय मुख्य रूप से एक सामाजिक उपकरण के रूप में माना जाए।
  - पुरानी श्रेणियों (जैसे, कॉर्पोरेट किसान) को बाहर करें, कड़ाई से छोटे/सीमांत किसानों, सूक्ष्म उद्यमों और कमजोर वर्गों को लक्षित करें। अधिक बैंक लचीलेपन के लिए समग्र लक्ष्यों को कम करने पर विचार करें।
- **समग्र दृष्टिकोण:** पिछड़े क्षेत्रों में केवल शीर्ष-डाउन (top-down) क्रेडिट शासनादेशों से बचें, जो अक्षम हैं।
  - लक्षित ऋण को वित्तीय हस्तक्षेपों के साथ जोड़ें जो बुनियादी ढांचे, कौशल और बाजार जुड़ाव जैसी मुख्य बाधाओं को दूर करते हैं।

### भारत में PSL ढांचा

- PSL भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा एक पहल है जो बैंकों को अपने ऋण का एक हिस्सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को आवंटित करने के लिए अनिवार्य करती है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अर्थ उन क्षेत्रों से है जिन्हें सरकार और RBI देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन बड़ी फर्मों को ऋण देने की बैंकों की सूचना विषमता (information asymmetry) या गहरी सामाजिक या जाति-आधारित पूर्वाग्रहों के कारण ये क्षेत्र उपेक्षित रह जाते हैं।

### प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

#### संदर्भ

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 4 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना की सुविधा प्रदान की है और 36 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजित किया है।

#### प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के बारे में

- यह अगस्त 2008 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा प्रशासित एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
- इसका उद्देश्य पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है।
- **कार्यान्वयनकर्ता:** यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

#### PMEGP के लिए पात्रता

- 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति पात्र है।
- PMEGP के तहत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सहायता हेतु कोई आय सीमा नहीं होगी।
- लाभार्थियों के पास विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
- स्वयं सहायता समूह (बीपीएल से संबंधित समूहों सहित, बशर्ते कि उन्होंने किसी अन्य योजना के तहत लाभ न लिया हो), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान, उत्पादन सहकारी समितियां और धर्मार्थ ट्रस्ट भी PMEGP के तहत सहायता के लिए पात्र हैं।
- मौजूदा इकाइयाँ जिन्होंने पहले ही भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाया है, वे पात्र नहीं हैं।

### जननी (JANANI) प्लेटफॉर्म

#### संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जननी (JANANI - Journey of Antenatal, Natal and Neonatal Integrated Care) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

### जननी (JANANI) प्लेटफॉर्म के बारे में

- यह एक सेवा-उन्मुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे प्रजनन आयु की महिलाओं के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड की व्यापक निगरानी और रखरखाव के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसे मौजूदा आरसीएच (RCH) पोर्टल के अपग्रेड संस्करण के रूप में विकसित किया गया है।
- उद्देश्य: मंच का उद्देश्य प्रसवपूर्व देखभाल, प्रसव तैयारी, प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल, नवजात देखभाल, घरेलू आधारित नवजात और छोटे बच्चे की देखभाल, तथा परिवार नियोजन को कवर करते हुए मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध ट्रेकिंग सुनिश्चित करना है।

### जननी प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताएं

- QR-सक्षम डिजिटल मातृ एवं बाल स्वास्थ्य (MCH) कार्ड पेश करता है।
- इसमें उच्च जोखिम वाली गर्भधारण के लिए स्वचालित अलर्ट, पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए रीयल-टाइम डैशबोर्ड और देय-सूची (due-list) सृजन शामिल है।
- यू-विन (U-WIN) और पोषण (POSHAN) जैसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकरण सक्षम करता है।
- अभा (ABHA), आधार (ओटीपी और बायोमेट्रिक) और मोबाइल नंबर जैसे विशिष्ट पहचानकर्ताओं के साथ-साथ अखिल भारतीय खोज कार्यक्षमता का उपयोग करके लाभार्थियों के पंजीकरण को सक्षम बनाता है।
- वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्व-पंजीकरण सुविधाएं प्रदान करता है।

### जियोसेल (GEOCELL)

#### संदर्भ

सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CSIR-CRRI) और बीपीसीएल (BPCL) को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा "अनुपयोगी प्लास्टिक (End-of-Life Plastic) से बने तकनीकी वस्त्र जियोसेल का उपयोग करके निर्मित पहला रोडब्लॉक सेक्शन" शीर्षक से रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए मान्यता दी गई है।

#### जियोसेल के बारे में

- यह एक त्रि-आयामी कोशिकीय परिरोध प्रणाली (three-dimensional cellular confinement system) है जिसका उपयोग भू-तकनीकी इंजीनियरिंग (geotechnical engineering) में मृदा की स्थिरता और भार वहन क्षमता में सुधार के लिए किया जाता है।
- इसमें उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन (HDPE) या पॉलिएस्टर जैसी भू-संश्लेषित (geosynthetic) सामग्रियों से बने परस्पर जुड़े मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोशिकाओं का एक नेटवर्क होता है।
- इन कोशिकाओं को साइट पर फैलाकर एक गद्दे जैसी परत बनाई जाती है और इन्हें मिट्टी, रेत, गिट्टी या मिट्टी जैसे भराव सामग्री से भरा जाता है।
- एक बार भरने और संकुचित (compacted) होने के बाद, जियोसेल परत अंतर्निहित मृदा के साथ एकीकृत होकर एक स्थिर, प्रबलित संरचना बनाती है।

#### जियोसेल के अनुप्रयोग

- जियोसेल का त्रि-आयामी पार्श्व परिरोध (lateral confinement) एंकरिंग तकनीकों के साथ मिलकर वनस्पति युक्त ऊपरी मिट्टी, गिट्टी या कंक्रीट की सतह का उपयोग करके ढलानों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।

- इनका उपयोग खड़ी ऊर्ध्वाधर यांत्रिक रूप से स्थिर मृदा संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जा सकता है।

## धर्म और भारत की सभ्यतागत पहचान पर सर्वोच्च न्यायालय

### संदर्भ

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, लंबे समय से लंबित सबरीमाला मंदिर प्रवेश संदर्भ मामले की सुनवाई करते हुए, भारत की सभ्यतागत पहचान और सांस्कृतिक निरंतरता को प्रभावित करने वाले धार्मिक मामलों में निरंतर न्यायिक हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाया।

### पृष्ठभूमि: सबरीमाला मामला (2018)

- 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सबरीमाला मंदिर में रजस्वला आयु की महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की प्रथा असंवैधानिक थी।
- यह निर्णय संविधान के तहत समानता के सिद्धांतों, गैर-भेदभाव और पूजा की स्वतंत्रता पर आधारित था।

### सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ (2026)

- **ऐतिहासिक विकास:** न्यायालय ने उल्लेख किया कि धर्म ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग रहा है और इसलिए कई धार्मिक प्रथाएं और अनुष्ठान भारतीय सभ्यता के ऐतिहासिक विकास से निकटता से जुड़े हुए हैं।
- **अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप पर चिंता:** न्यायालय ने चिंता व्यक्त की कि यदि प्रत्येक आंतरिक धार्मिक असहमति को संवैधानिक न्यायालयों के समक्ष लाया जाता है, तो न्यायपालिका धीरे-धीरे सभी धार्मिक और अनुष्ठानिक विवादों को सुलझाने का एक मंच बन सकती है।
- **न्यायिक समीक्षा की संवैधानिक सीमाएँ:** न्यायालय ने इस बात की जांच की कि क्या सामाजिक सुधार मुख्य रूप से संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित लोकतांत्रिक कानून के माध्यम से होना चाहिए, या व्यक्तिगत विवादों में निरंतर न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से।
- **दीर्घकालिक संवैधानिक निहितार्थ:** सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया कि पीठ के समक्ष मुद्दा एक एकल मंदिर-प्रवेश विवाद से परे है। न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में विकसित सिद्धांत निम्नलिखित को प्रभावित कर सकते हैं:
  - धार्मिक स्वतंत्रता की भविष्य की व्याख्या
  - आस्था और संवैधानिक नैतिकता के बीच संबंध
  - सामाजिक सुधार और परंपराओं के संरक्षण के बीच संतुलन

## मुख्य परीक्षा

### तेल रिसाव का खतरा (OIL SPILL HAZARD)

#### संदर्भ

केरल के तट पर जहाज दुर्घटनाओं (Shipwreck) की घटनाओं ने इसकी 590 किमी लंबी तटरेखा की रक्षा के लिए एक राज्य-विशिष्ट 'तेल रिसाव आकस्मिक योजना' (Oil Spill Contingency Plan - OSCP) तैयार करने के लिए प्रेरित किया है।

#### समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर तेल रिसाव का प्रभाव

- **जैव विविधता की हानि:** तेल रिसाव के कारण प्लवक (plankton) से लेकर बड़े स्तनधारियों, पक्षियों और मछलियों तक समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है, जिससे खाद्य श्रृंखला गंभीर रूप से प्रभावित होती है।
  - उदाहरण: मैक्सिको की खाड़ी में 2010 के 'डीपवाटर होराइजन' तेल रिसाव के परिणामस्वरूप विभिन्न समुद्री प्रजातियों की व्यापक मृत्यु हुई थी।
- **समुद्री जीवन के लिए स्वास्थ्य जोखिम:** यह पक्षियों के इन्सुलेटिंग (रोधी) गुणों को कम कर देता है और समुद्री जानवरों के श्वसन तंत्र को अवरुद्ध कर देता है।
- **आवास विनाश:** यह मैंग्रोव, ज्वारनदमुख (estuaries) और लवण कच्छ (salt marshes) जैसे महत्वपूर्ण तटीय आवासों को नुकसान पहुंचाता है और उन्हें नष्ट कर देता है।
  - उदाहरण: अलास्का के प्रिंस विलियम साउंड में 1989 के 'एक्सॉन वाल्डेज़' तेल रिसाव के कारण तटीय आवासों का महत्वपूर्ण विनाश हुआ था।
- **प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) को नुकसान:** तेल प्रदूषण प्रवाल पॉलिप्स (coral polyps) का दम घोट सकता है और उन्हें मार सकता है।
  - उदाहरण: मॉरीशस में 2020 के तेल रिसाव ने प्रवाल उद्यानों को नष्ट कर दिया था और सरकार द्वारा इसे पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया था।
- **दूषित समुद्री उत्पाद:** तेल रिसाव मछलियों जैसे समुद्री उत्पादों को दूषित कर देता है और उन्हें मानव उपभोग के लिए असुरक्षित बना देता है।
  - उदाहरण: लाल सागर (Red Sea) में 2021 के तेल रिसाव के कारण समुद्री खाद्य पदार्थ दूषित हो गए थे।
- **अन्य प्रभाव:** तेल प्रदूषण पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है और सूर्य के प्रकाश के प्रवेश में बाधा उत्पन्न करता है।

#### भारत में तेल प्रदूषण का खतरा

- **विस्तृत तटरेखा:** भारत की लगभग 7517 किमी की विशाल तटरेखा इसे तेल प्रदूषण की घटनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। भारतीय तटरेखा वैश्विक तेल मांग के 70% से अधिक के लिए एक मार्ग (conduit) के रूप में कार्य करती है।
- **उच्च समुद्री गतिविधि:** हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण, भारत में उच्च समुद्री गतिविधि देखी जाती है, जो इसे तेल रिसाव के प्रति अत्यधिक सुभेद्य बनाती है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता:** भारत का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अविश्वसनीय रूप से विविध है, जिसमें मन्नार की खाड़ी की अद्वितीय प्रवाल भित्तियाँ और सुंदरबन के मैंग्रोव शामिल हैं, जो इसे तेल प्रदूषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं।

- **आर्थिक निर्भरता:** तेल प्रदूषण मछली पकड़ने, पर्यटन आदि सहित आजीविका और उद्योगों के लिए खतरा पैदा करता है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है।
  - उदाहरण: 2010 के गोवा तेल रिसाव का राज्य के पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।
- मानसून और चक्रवात तेल रिसाव के प्रभावों को और बढ़ा देते हैं, जिससे नियंत्रण और सफाई के प्रयास अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं।

### केरल की तेल रिसाव आकस्मिक योजना (OSCP)

- OSCP समुद्री और तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव की तैयारी, प्रतिक्रिया और शमन के लिए एक संरचित ढांचा है (जो राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप है)।
- **द्वारा तैयार:** केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 'राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना' (NOS-DCP) के अनुरूप, भारतीय तटरक्षक बल (नोडल प्रतिक्रिया प्राधिकरण) जैसी एजेंसियों के समन्वय से तैयार किया गया।
- **मुख्य घटक:**
  - पर्यावरणीय संवेदनशीलता मानचित्रण (Environmental Sensitivity Mapping)
  - जोखिम मूल्यांकन और क्षेत्रीकरण (Risk Assessment & Zonation)
  - संकट प्रबंधन ढांचा: विभागों की भूमिकाओं और कमांड की श्रृंखला को परिभाषित करता है (आपात स्थितियों के दौरान स्पष्ट जवाबदेही)।
  - प्रतिक्रिया रणनीतियाँ: इसमें वन्यजीव संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सफाई के तरीके (बूमिंग, स्किमिंग, डिस्पर्सेंट्स) शामिल हैं।
  - परिचालन संबंधी दिशानिर्देश: इसमें जहाज पर आपातकालीन योजनाएं और समुद्री प्रतिक्रिया प्रणाली (एकीकृत कार्य योजना) शामिल हैं।

### OSCP प्रभावी तटरेखा प्रतिक्रिया को कैसे संबोधित करता है

- **समय पर प्रतिक्रिया:** कमांड और जिम्मेदारियों की परिभाषित श्रृंखला के साथ, OSCP समन्वित और समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।
- **संसाधन और उपकरण मानचित्रण:** मशीनरी और प्रतिक्रिया उपकरणों (बूम, स्किमर्स, डिस्पर्सेंट्स) का डेटाबेस बनाए रखता है।
- **स्थल-विशिष्ट प्रतिक्रिया योजना:** तटरेखा के प्रकार (रेतीले, पथरीले तट, ज्वारनदमुख) के आधार पर सफाई रणनीतियों को अनुकूलित करता है।
- **सफाई-पूर्व मूल्यांकन:** तेल की विशेषताओं और पर्यावरणीय स्थितियों का मूल्यांकन करता है (उपयुक्त विधि चयन सुनिश्चित करता है)।
- **संवेदनशील क्षेत्रों की प्राथमिकता:** उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों (मछली पकड़ने के क्षेत्र, जैव विविधता हॉटस्पॉट) की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **एकीकृत बहु-एजेंसी समन्वय:** राज्य एजेंसियों और भारतीय तटरक्षक बल (केंद्रीय नोडल एजेंसी) के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है।

## भारत में प्रजनन अधिकार और नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के लिए चुनौतियाँ

### संदर्भ

हाल के न्यायिक हस्तक्षेपों, विशेष रूप से बलात्कार पीड़ितों और नाबालिगों से जुड़े मामलों ने गर्भपात तक पहुँच, गोपनीयता और स्वास्थ्य देखभाल अधिकारों के इर्द-गिर्द बहस को तेज कर दिया है।

### प्रजनन अधिकारों को समझना

- **प्रजनन अधिकारों का अर्थ:** प्रजनन अधिकार व्यक्तियों को उनके प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में सूचित निर्णय लेने की स्वतंत्रता को संदर्भित करते हैं। इनमें शामिल हैं:
  - गर्भनिरोधक तक पहुँच
  - सुरक्षित गर्भपात सेवाएं
  - मातृ स्वास्थ्य देखभाल
  - प्रजनन संबंधी निर्णयों में जबरदस्ती से मुक्ति
- **अधिकारों की संवैधानिक गारंटी:** प्रजनन अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से निकटता से जुड़े हुए हैं, जो जीवन के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गोपनीयता, मानवीय गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता की गारंटी देता है।

### प्रजनन अधिकारों के प्रति सर्वोच्च न्यायालय का विस्तारित दृष्टिकोण

- **शारीरिक स्वायत्तता की मान्यता:** सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि एक महिला के शरीर को राज्य, समाज या चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। गर्भावस्था से संबंधित निर्णय संबंधित व्यक्ति के पास ही होने चाहिए।
- **व्यक्तिगत पसंद की प्रधानता:** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रजनन संबंधी निर्णय मुख्य रूप से गर्भवती व्यक्ति के होते हैं। नाबालिगों के मामले में, माता-पिता या कानूनी अभिभावक बच्चे के सर्वोत्तम हितों में कार्य कर सकते हैं।
- **राज्य एक अवरोधक नहीं बल्कि एक सक्षमकर्ता के रूप में:** न्यायालय ने टिप्पणी की कि राज्य की भूमिका अनावश्यक प्रतिबंध लगाने के बजाय सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा और परामर्श तक पहुँच को सुगम बनाना है।
- **गरिमा और गोपनीयता का संरक्षण:** न्यायालय ने स्वीकार किया कि किसी महिला या बलात्कार पीड़ित को अनचाहे गर्भ को जारी रखने के लिए मजबूर करना गरिमा, मानसिक स्वास्थ्य और गोपनीयता का उल्लंघन है।
- **संवैधानिक आधार:** यह व्याख्या अनुच्छेद 21 और स्वायत्तता एवं गरिमा के साथ जीने के अधिकार से प्रवाहित होती है।

### भारत में गर्भपात कानून

#### मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम, 1971:

- **मुख्य विशेषताएं:** MTP अधिनियम ने कानूनी अपवाद बनाए जिसके तहत गर्भपात की अनुमति दी गई। मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:
  - निर्दिष्ट शर्तों के तहत 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दी।
  - पंजीकृत डॉक्टरों की चिकित्सा राय आवश्यक थी।
  - निम्नलिखित मामलों में गर्भपात की अनुमति दी:
    - महिला के जीवन को जोखिम।
    - भ्रूण की असामान्यताएं।
    - बलात्कार के कारण गर्भधारण।

- विवाहित महिलाओं में गर्भनिरोधक विफलता।
- **सीमा:** यह ढांचा 'डॉक्टर-केंद्रित' रहा, क्योंकि अंतिम निर्णय काफी हद तक चिकित्सा अनुमोदन पर निर्भर था।
- **MTP संशोधन अधिनियम, 2021:** 2021 के संशोधन ने गर्भपात तक पहुँच को व्यापक बनाया, वैवाहिक स्थिति से परे प्रजनन स्वायत्तता की कानूनी मान्यता का विस्तार किया।

**प्रमुख परिवर्तन**

| विशेषता                                    | MTP अधिनियम, 1971    | MTP संशोधन अधिनियम, 2021  |
|--|----------------------|---|
| ऊपरी गर्भावधि सीमा (Upper Gestation Limit) | 20 सप्ताह            | निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए 24 सप्ताह                            |
| 20 सप्ताह तक चिकित्सा राय                  | एक डॉक्टर            | एक डॉक्टर   |
| 20-24 सप्ताह के लिए चिकित्सा राय           | अनुमति नहीं थी       | दो डॉक्टरों की आवश्यकता   |
| गर्भनिरोधक विफलता खंड                      | केवल विवाहित महिलाएं | सभी महिलाओं के लिए विस्तारित                                    |
| मेडिकल बोर्ड                               | आवश्यक नहीं          | 24 सप्ताह से अधिक के भ्रूण असामान्यताओं के मामलों के लिए आवश्यक |

**नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के लिए गर्भपात तक पहुँच संबंधी चिंताएँ**

- **सामाजिक कलंक और देरी से रिपोर्टिंग:** कई पीड़ित प्रारंभिक अवस्था में गर्भधारण की रिपोर्ट करने में असमर्थ होते हैं। यौन हिंसा से उत्पन्न आघात, सामाजिक कलंक, गर्भावस्था के बारे में जागरूकता की कमी और गर्भावस्था की पहचान में देरी सहित कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बाधाएं इस विलंब में योगदान करती हैं।
- **गर्भावधि सीमा की समस्या:** MTP अधिनियम के तहत, निर्दिष्ट शर्तों के तहत आम तौर पर 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति है और यह कानूनी ढांचा कई नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के लिए प्रतिबंधात्मक हो जाता है जो देर से अपनी गर्भावस्था का पता लगाती हैं या उसका खुलासा करती हैं।
- **सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की असमान उपलब्धता:** सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सुविधाओं तक पहुँच भारत भर में, विशेष रूप से ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में, अत्यधिक असमान बनी हुई है। यह नाबालिगों और यौन हिंसा के पीड़ितों सहित सुभेद्य समूहों के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा करता है।
- **MTP अधिनियम और POCSO अधिनियम के बीच संघर्ष:** पॉक्सो (POCSO) अधिनियम नाबालिगों से जुड़ी यौन गतिविधि की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाता है, जो गर्भपात के मामलों में गोपनीयता की चुनौतियां पैदा करता है और डॉक्टरों को प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल की जिम्मेदारियों और अनिवार्य कानूनी रिपोर्टिंग दायित्वों के बीच खड़ा कर देता है।
- **किशोरों में डर:** कई किशोर अस्पतालों में जाने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें आपराधिक कार्यवाही, सामाजिक जोखिम, पारिवारिक आक्रोश और गोपनीयता के हनन का डर होता है। यह डर समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप को हतोत्साहित करता है और देरी से होने वाले गर्भपात में योगदान देता है।

**सर्वोच्च न्यायालय का 2022 का स्पष्टीकरण**

- 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के तहत रिपोर्टिंग दायित्वों के साथ प्रजनन स्वायत्तता को संतुलित करने का प्रयास किया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि नाबालिगों को उनकी पहचान के अनावश्यक खुलासे के बिना गर्भपात सेवाओं तक पहुँच प्राप्त होनी चाहिए।
- न्यायालय ने बाल संरक्षण कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पीड़ितों की गोपनीयता, गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।

**अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास**

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO):** WHO गर्भपात देखभाल के लिए अधिकार-आधारित और रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण की सिफारिश करता है, जो गोपनीयता, गोपनीयता, सूचित सहमति और अनावश्यक कानूनी बाधाओं के बिना सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक समय पर पहुँच पर जोर देता है।
- **यूनाइटेड किंगडम:** यूके "गिलिक सक्षमता" (Gillick competence) ढांचे के माध्यम से किशोरों के लिए गोपनीय प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत का पालन करता है, जो सूचित निर्णय लेने में सक्षम नाबालिगों को गोपनीय रूप से चिकित्सा सेवाओं तक पहुँचने की अनुमति देता है।
- **फ्रांस:** फ्रांस विशेष रूप से सुभेद्य महिलाओं और यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता और सामाजिक समर्थन तंत्र के साथ गर्भपात सेवाओं का संयोजन करता है।
- **दक्षिण अफ्रीका:** यह व्यापक कानूनी आधारों पर गर्भपात की अनुमति देता है और महिलाओं के प्रजनन विकल्पों को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारकों को मान्यता देता है, विशेष रूप से सुभेद्य स्थितियों में।

**आगे की राह**

- **गर्भावधि लचीलेपन का विस्तार:** नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के लिए गर्भावधि सीमा में अधिक लचीलापन पेश करें, जिससे केवल कठोर समयसीमा के बजाय चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों को निर्णयों का मार्गदर्शन करने की अनुमति मिले।
- **फास्ट-ट्रेक चिकित्सा प्रक्रियाएं:** चिकित्सा देखभाल में देरी को रोकने और लंबे समय तक अदालती हस्तक्षेप को कम करने के लिए समयबद्ध अनुमोदन तंत्र और समर्पित फास्ट-ट्रेक सिस्टम स्थापित करें।
- **MTP और POCSCO अधिनियमों में सामंजस्य:** स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच भ्रम को कम करने के लिए प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल अधिकारों और अनिवार्य रिपोर्टिंग दायित्वों के बीच कानूनी स्पष्टता पैदा करें।
- **सुरक्षित गर्भपात बुनियादी ढांचे में वृद्धि:** प्रमाणित गर्भपात सुविधाओं का विस्तार करें, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, और देर-अवधि (late-term) गर्भपात सेवाओं तक पहुँच में सुधार करें।
- **पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना:** सुनिश्चित करें कि नीतियां और संस्थागत अभ्यास नाबालिग पीड़ितों की गरिमा, स्वायत्तता, मानसिक स्वास्थ्य और सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता दें।
- **सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन:** गोपनीयता और प्रजनन स्वायत्तता पर सर्वोच्च न्यायालय के 2022 के स्पष्टीकरण को उचित रूप से लागू करने के लिए अस्पतालों और राज्य अधिकारियों के लिए समान परिचालन दिशानिर्देश जारी करें।

## भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करना

### संदर्भ

भारत ने नए मेडिकल कॉलेजों, एम्स संस्थानों की स्थापना और एमबीबीएस के साथ-साथ स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों में वृद्धि के माध्यम से अपने चिकित्सा बुनियादी ढांचे के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि, इस विस्तार के बावजूद, केवल बुनियादी ढांचे की वृद्धि के माध्यम से बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते।

### भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में संरचनात्मक चुनौतियाँ

- **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) में विशेषज्ञों की भारी कमी:** 'हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया 2022-23' रिपोर्ट के आंकड़ों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) में विशेषज्ञों की चिंताजनक कमी का पता चलता है। आवश्यक 21,964 विशेषज्ञों के मुकाबले वर्तमान में केवल 4,413 उपलब्ध हैं, जिसके परिणामस्वरूप रिक्ति दर लगभग 80% है। यह ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतर अपर्याप्तता को दर्शाता है।
- **जिला अस्पतालों पर अत्यधिक बोझ:** CHCs के कमजोर कामकाज के कारण मरीजों को नियमित विशेषज्ञ उपचार के लिए भी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नतीजतन, तृतीयक स्वास्थ्य सेवा संस्थानों (tertiary healthcare institutions) में भीड़भाड़ और सीमित संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है।
- **अधुरी परिचालन तैयारी:** कई नए स्थापित अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं, नैदानिक सुविधाओं, एम्बुलेंस और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है। परिचालन तत्परता सुनिश्चित किए बिना केवल इमारतों का निर्माण करना स्वास्थ्य विस्तार की प्रभावशीलता को सीमित करता है।
- **चिकित्सा शिक्षा का बढ़ता निजीकरण:** स्वीकृत 43 नए मेडिकल कॉलेजों में से 27 निजी तौर पर प्रबंधित संस्थान हैं। यह प्रवृत्ति चिकित्सा शिक्षा की सामर्थ्य (affordability) के संबंध में चिंता पैदा करती है और सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य प्रणालियों से जुड़ी जवाबदेही को कम कर सकती है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकूल कार्य परिस्थितियाँ:** खराब जीवन स्थितियों, अपर्याप्त आवासीय सुविधाओं, बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, अपर्याप्त चिकित्सा उपकरण और सीमित पेशेवर सहायता प्रणाली के कारण चिकित्सा पेशेवर अक्सर दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा करने के लिए अनिच्छुक होते हैं।
- **अप्रभावी कार्यबल नियोजन (Workforce Planning):** यद्यपि भारत प्रतिवर्ष पर्याप्त संख्या में चिकित्सा विशेषज्ञ तैयार करता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्तियां अभी भी बनी हुई हैं। यह चिकित्सा शिक्षा नीतियों और दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवा कार्यबल नियोजन के बीच अपर्याप्त समन्वय को दर्शाता है।

### आगे की राह

- **बुनियादी ढांचे के विस्तार पर स्वास्थ्य परिणामों को प्राथमिकता दें:** स्वास्थ्य देखभाल नीति को केवल संस्थानों के निर्माण से हटाकर प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दवाओं की उपलब्धता, निदान, आपातकालीन देखभाल और प्रशिक्षित कर्मियों जैसे संकेतक सफलता के केंद्रीय उपाय होने चाहिए।
- **ग्रामीण सेवा के लिए मजबूत प्रोत्साहन पेश करें:** दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों को उच्च पारिश्रमिक, बेहतर आवास, उनके बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता और बेहतर करियर उन्नति के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। छत्तीसगढ़ सहित कुछ राज्यों ने पहले ही ऐसे प्रोत्साहन-आधारित दृष्टिकोणों का प्रयोग किया है।
- **स्नातकोत्तर सीटों को अनिवार्य सार्वजनिक सेवा से जोड़ें:** सरकार द्वारा समर्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा को कम सेवा वाले क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा दायित्वों से जोड़ा जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि चिकित्सा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश सीधे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में योगदान दे।

- **मजबूत जिला-स्तरीय स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क का निर्माण करें:** बड़ी संख्या में खराब प्रदर्शन करने वाले CHCs बनाने के बजाय, जिला स्तर पर कम लेकिन पूरी तरह से सुसज्जित और पर्याप्त स्टाफ वाले स्वास्थ्य सेवा केंद्र स्थापित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। संख्यात्मक विस्तार पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **स्वास्थ्य सेवा शासन (Governance) में सुधार:** सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन में सुधार के लिए कुशल भर्ती प्रणाली, केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत समन्वय, पारदर्शी स्थानांतरण नीतियां और मजबूत जवाबदेही तंत्र आवश्यक हैं।

